

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. †3016  
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

†3016.श्री विष्णु दयाल राम:  
श्री नलिन सोरेन:  
श्री तापिर गाव:  
श्री मनोज तिवारी:  
श्री प्रदीप कुमार सिंह:  
श्री जुगल किशोर:  
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:  
श्रीमती अपराजिता सारंगी:  
डॉ. राजेश मिश्रा:  
श्री खगेन मुर्मु:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी और संरक्षण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तपोषण हेतु वर्ष 2025 में आरंभ किए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और ऑनलाइन प्रस्ताव प्रबंधन प्रणाली की क्या स्थिति है;

(ख) विकसित वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है और दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में उनके संभावित उपयोग को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा; और

(ग) क्या नवाचार श्रृंखला को सुदृढ़ करने और वित्तपोषण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री  
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क): खान मंत्रालय खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म प्रौद्योगिकियों, खनिज सज्जीकरण और पुनर्चक्रण में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) कार्यक्रम के अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) घटक और एस एंड टी-प्रिज्म (स्टार्टअप एवं एमएसएमई में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन) घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्त-पोषण शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के लिए किया जाता है। वर्ष 2025-26 में, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की 42 परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत 22.12 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 में एसएंडटी-प्रिज्म घटक के तहत, 7.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 06 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। सत्यभामा पोर्टल (<https://research.mines.gov.in/>) एस एंड टी कार्यक्रम के तहत परियोजना प्रस्तावों के शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

(ख): वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के संबंध में, आवश्यकतानुसार देश में कहीं भी तैनाती के लिए उद्योग द्वारा अपनाने योग्य 16 प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया या पहचाना गया था।

(ग): खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत देश में नौ प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है। 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के अनुरूप, एनसीएमएम के तहत मान्यता प्राप्त सीओई सरकार की किसी भी आरएंडडी योजना से विशिष्ट आर एंड डी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

\*\*\*\*\*